न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 97/2018 G.C.M.S. No. 2018/00384 दर्ज दिनांक : 25.10.2018

अपीलार्थिगण:

1. बहादुरसिंह पुत्र देवीसिंहजी जाति राजपूत, निवासी उषापुरा गेट, सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 जिसे उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर कैम्प कोलीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 316/2008 में पारित किया एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 28.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 जिसे उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर कैम्प कोलीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 316/2008 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया था कि ग्राम जाखोड़ा पटवार क्षेत्र कोलीवाड़ा के खसरा संख्या 305 व 353 मीन 3 रकबा क्रमशः 0.22 एवं 0.36 हैक्टेयर नहरी प्रथम कृषि भूमि आई हुई हैं। जिस पर वर्ष 1955 से अर्थात अपीलांट के पूर्वजों के समय से कब्जाकाश्त बतौर खातेदार चला आ रहा है। लेकिन जानबूझकर अपीलार्थी व उनके पूर्वजों को खातेदार दर्ज नहीं किया है। रेस्पोंडेंट द्वारा जवाबदावा पेश कर तथ्यों से इंकार किया गया व जाखोड़ा गांव नगरपालिका सुमेरपुर के पैराफैरी अर्थात परिधि क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन या खातेदारी देना विधिसम्मत नहीं होने से वाद खारिज करने का कथन किया। दोनों पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली अपीलार्थी की साक्ष्य में नियत की। अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य में शपथपत्र पेश हो चुका था, जिस पर रेस्पोंडेंट द्वारा जिरह की जानी थी। लेकिन लंबे समय तक जिरह नहीं की एवं राज्य सरकार द्वारा "न्याय आपके द्वार" कैम्प कोर्ट अभियान में बिना साक्ष्य के ही केवल निर्णित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के मकसद से वाद को खारिज कर दिया एवं उसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई। तत्पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पिछले 5 महीने से अपीलार्थी मय अधिवक्ता लगातार न्यायालय में पत्रावली की पेशी की जानकारी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। अंतिम रूप से दिनांक 27.09.2018 को यह जानकारी दी गई कि कैम्प कोर्ट में ही अपीलार्थी के वाद को खारिज कर दिया गया है, तब उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया व दिनांक 03.10.2018 को नकलें दी गई। जिस पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए सीपीसी के प्रावधानों का अवलोकन कर विधिक प्रावधानों की पूर्ति किए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है। चूंकि पत्रावली वादी साक्ष्य के लिए नियत थी। वादी से प्रतिवादी ने जिरह भी नहीं की थी व लंबे समय तक जिरह हेतु पत्रावली लंबित रही। वादी की साक्ष्य अर्थात जिरह बंद भी नहीं की गई बल्कि ही प्रतिवादी की साक्ष्य में पत्रावली नियत की गई तथा सीधे ही निर्णय व डिक्री पारित की दी गई, जोकि एब इनिसियो वॉइड होने से अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की जा चुकी थीं। विधिनुसार आदेश 20 नियम 5 में वर्णित प्रावधानानुसार प्रत्येक तनकी को अलग–अलग दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पनर विनिश्चित करते हुए प्रत्येक तनकी पर अलग–अलग फाईंडिंग देते हुए निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में केवल दो पेज में ही बिना कोई तनकीयात का विवेचन किए, बिना तनकीयात को निर्णित किए, जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। इसके साथ ही ग्राम जाखोड़ा बांध के कमाण्ड क्षेत्र में हैं, इसलिए जवाई कमाण्ड के आवंटन नियम लागू होते हैं, जिसमें परिधिय ग्राम अर्थात पैराफैरी क्षेत्र में आवंटन/नियमन किए जाने बाबत कोई प्रतिबंध नहीं हैं। साथ ही धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने बाबत भी विधिक रूप से कोई रोक नहीं हैं। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद परिधि क्षेत्र का या नगर परिषद क्षेत्र की कृषि भूमि बाबत भी विधिनुसार पोषणीय रहता है। विधिक रूप से परिधि ग्राम या नगर परिषद क्षेत्र में धारा 88 के तहत खातेदारी दिए जाने बाबत कोई रोक नहीं हैं। इसलिए इस बिंदू पर पारित निर्णय पूर्णरूपेण अवैध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र दिनांक 01.09.2008 को प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 08.10.2018 को प्रस्तुत की। जोकि परिसीमा अवधि से बाधित है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलंबकाल माफ करने के लिए मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट को सूचित किए बिना एवं पक्षकारों की अनुपस्थिति में लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। जिसकी जानकारी वादी को नहीं थीं। पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 03.10.2018 को नकल आदि जारी की। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

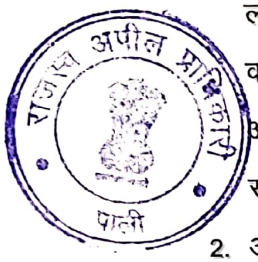

2. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे राजस्व लोक अदालत कैम्प कोलीवाड़ा में पारित किया गया है तथा अपीलाधीन निर्णय पर अधिवक्ता की उपस्थिति आदि का कोई अंकन नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित किये बिना एवं साक्ष्य आदि लिए बिना लोक अदालत निर्णय व डिक्री पारित की हैं। हमारे विनम्र मत में प्रकरण कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। अतः प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं होने एवं विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी सरकार का जवाबदावा प्राप्त कर विवाद्यक विरचित कर दिये गये एवं पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत रही हैं। दिनांक 09.05.2018 को साक्ष्य वादी लिए बिना एवं साक्ष्य वादी बंद किये बिना तथा प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर दिये बिना एवं विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन किए बिना लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य बिना किसी राजीनामा के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो विधिसम्मत व पुष्टियोग्य नहीं कही जा सकती।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

5. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है– न्यायालय हरएक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई हैं, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा।" इस प्रकार यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रत्येक विवाद्यक पर उपलब्ध साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रियागत उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर स्पष्ट कारण सहित पृथक–पृथक विनिश्चय एवं विनिर्णय करना होता है तथा इसके तत्पश्चात प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित किया जाना होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक तो विरचित किए गए हैं लेकिन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में न तो किसी भी पक्ष से साक्ष्य ली गई हैं न ही किसी पक्ष को अपना पक्ष साबित करने या बचाव करने का कोई अवसर दिया गया है तथा न ही विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन किया गया है। यदि बावजूद सूचना के पक्षकार/पैरोकार उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर निर्णयन नहीं किया जा सकता। अतः यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय लोक अदालत के अंतर्गत नहीं कर कैम्प कोर्ट के रूप में भी किया गया है तो भी उक्त निर्णय का समर्थन एवं पुष्टि नहीं की जा सकती।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत होने के बावजूद प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए प्रकरण में विवाद्यकवार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विवेचन एवं निर्णयन नहीं करने, पक्षकारान की सहमति, राजीनामा नहीं होने के बावजूद प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखकर निर्णित कर देने तथा ऐसा निर्णय/आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 20 से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर कैम्प कोलीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 316/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner